

Receipt 6077
22/7/21

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

Est-I
22/7/2021

क्रमांक-एफ.10(1)आयु./2019

जयपुर, दिनांक 12.0 JUL 2021

:- आदेश :-

राज्य में कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत चिकित्सकीय सेवाओं को सुचारुत्व प्रदान करने एवं प्रशासनिक कारणों से लोकहित में निम्नांकित होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी/वरिष्ठ चिकित्साधिकारी ग्रेड-॥ का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	विवरण
1	डॉ. वीरेन्द्र सिंह सौलंकी	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	राज.होम्यो.औष. कुचामनसिटी-नागौर	राज.होम्यो.औष. कुचेरा-नागौर	रिक्त पद पर
2	डॉ. गुंजन डांगी	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	राज.होम्यो.औष. झालारापाटन-झालावाड	राज.होम्यो.औष. दादाबाडी-कोटा	डॉ. मधुलिका सोनी के स्थान पर एस.एम.ओ-॥ के पद विरुद्ध
3	डॉ. मधुलिका सोनी	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	राज.होम्यो.औष. दादाबाडी-कोटा	राज.होम्यो.औष. झालारापाटन-झालावाड	डॉ. गुंजन डांगी के स्थान पर एस.एम.ओ-॥ के पद विरुद्ध (प्रभावित)
4	डॉ. कृपा शंकर बैरवा	वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी ग्रेड-॥	राज.होम्यो.औष. राजाखेडा-धौलपुर	सामान्य चिकि. एकछत स. माधोपुर	डॉ. संजू वर्मा के स्थान पर
5	डॉ. संजू वर्मा	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	सामान्य चिकि. एकछत स. माधोपुर	राज.होम्यो.औष. राजाखेडा-धौलपुर	डॉ. कृपा शंकर बैरवा के स्थान पर (प्रभावित)
6	डॉ. रोजलिना डिसूजा	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	राज.होम्यो.औष. मुण्डवा-नागौर	राज.महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर	रिक्त पद पर
7	डॉ. नमीता राजवंशी	वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी ग्रेड-॥	राज.होम्यो.औष. जिला-अस्पताल, दौसा	राज.होम्यो.औष. दूदू-जयपुर	डॉ. सुमनलता मीणा के स्थान पर

22/7/21

8	डॉ. सुमनलता मीणा	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	राज.होम्यो.औष. दूहू-जयपुर	राज.होम्यो.औष. जिला-अस्पताल दौसा	डॉ. नमीता राजवंशी के, स्थान पर एस. एम.ओ-11 के पद विरुद्ध (प्रभावित)
---	------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------	---

नोट:-

1. उक्त में से जिन अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से किये गये है, को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
2. उपर्युक्त स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश में किसी अधिकारी/पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो, तो उसकी क्रियान्विति निदेशालय/शासन से पूर्व अनुमति उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. किसी अधिकारी द्वारा पूर्व में ही माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन प्राप्त कर रखा हो, तो उसकी क्रियान्विति विधिक परामर्श उपरान्त सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर करें।

आज्ञा से,

(आर.पी. चतुर्वेदी)
उपशासन सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर
आयुष भवन सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर-302033

दिनांक:- 22.07.2021

क्रमांक:-प्रति-1/हो.चि./पदस्थापन/स्था./2021/5470-79
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर को आदेश क्रमांक एफ.10(1) आयु./2019 दिनांक 20.07.2021 के क्रम में सूचनार्थ।
4. प्रभारी होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक चिकि/औष./ पी.एच.सी./सी.एच.सी।
5. प्रभारी संबन्धित पी.एच.सी./सी.एच.सी।
6. विभागीय नोडल अधिकारी (विभागीय बैवसाइट) को दी जाकर लेख है की विभागीय बैवसाइट पर आज ही अपलोड करावे एवं सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को ई-मेल/WhatsApp कर सूचित करे।
7. संबन्धित, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी ग्रेड-II/होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी डॉ. को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है की तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर इस विभाग को अवगत करावे साथ ही उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में किसी अधिकारी/पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो तो उसकी क्रियान्विति निदेशालय/शासन से पूर्व अनुमति उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित करे।
8. कार्यालय की लेखा शाखा/कैश शाखा/विधी शाखा/सामान्य शाखा/स्टोर शाखा/सांख्यकी शाखा।
9. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. धीरेन्द्र बंसल)
अतिरिक्त निदेशक